

**प्रपत्र छ: (नियम 6 का उपनियम 6 देखिये)
भू-विकास परमिट के अनुमोदन का प्रपत्र**

प्रेषक,

नियत प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र,
शाहजहाँपुर।

सेवा में,

श्री राधेगोविन्द मोदी
पार्टनर

मैसर्स राधे कुंज पार्टनरशिप फर्म,
स्थित-रोशनगंज, तहसील सदर,
जिला-शाहजहाँपुर।

महोदय,

राजस्व ग्राम-नवादा इन्देपुर, तहसील सदर, जिला शाहजहाँपुर स्थित कॉलोनी खसरा संख्या-40(पी०) रकवा 6555.00 वर्गमीटर भूमि में आवासीय कालोनी के विकास के लिये कार्यालय विनियमित क्षेत्र, शाहजहाँपुर में प्रस्तुत तलपट मानचित्र पत्रावली संख्या-298/2023-24, दिनांक 02-03-2024 के साथ संलग्न उप विभाजन मानचित्र को निम्नांकित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- 1:- यह अनुमति स्वीकृति के दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि के लिये वैध है। इस अवधि में प्रस्तावित कॉलोनी के अन्दर प्राविधानित सभी विकास कार्यों को पूर्ण कराना होगा एवं विकास कार्य प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप ड: पर प्रस्तुत करनी होगी।
- 2:- स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही स्थल पर विकास एवं निर्माण कार्य अनुमन्य होगा। स्वीकृति के विपरीत किसी भी प्रकार का विकास एवं निर्माण अनुमन्य नहीं है। स्वीकृति के विपरीत विकास एवं निर्माण कार्य करने पर यह स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- 3:- यदि किसी भी समय यह पाया गया कि यह स्वीकृति आपने किसी तथ्य को छुपाकर, कपटपूर्ण तरीके से प्राप्त की है, तो इस स्वीकृति को निरस्त किया जा सकेगा।
- 4:- उप विभाजन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है, केवल वही प्रयोग अनुमन्य होगा।
- 5:- स्वामित्व सिद्ध करने के लिये उप विभाजन मानचित्र का प्रयोग किसी भी न्यायालय में वैध नहीं समझा जायेगा, अर्थात् मानचित्र की स्वीकृति संस्था के स्वामित्व का प्रमाण नहीं है।
- 6:- सड़क, सरकारी भूमि, अथवा सर्विस लेन पर किसी प्रकार की कोई निर्माण सामग्री एकत्रित नहीं की जायेगी।
- 7:- उ०प्र० राज्य वन नीति 1998 के अनुसार, प्रस्तावित कॉलोनी में लैण्ड स्केप के अनुसार वृक्ष लगवाना अनिवार्य होगा।
- 8:- विकास एवं निर्माण कार्य के दौरान, उप विभाजन मानचित्र की स्वीकृति से सम्बन्धित विवरण की पट्टिका जिसमें उप विभाजन मानचित्र स्वीकृति से सं० एवं स्वीकृति के दिनांक का स्पष्ट उल्लेख किया जाये, स्थल के बाहर स्थापित करना अनिवार्य होगा एवं स्थल पर स्वीकृत विन्यास मानचित्र की एक प्रति भी अनिवार्य रूप से रखना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा जाँच की जा सके।

निरन्तर.....2



R 11

(2)

- 9:- समस्त निर्माण एवं विकास कार्य लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप सम्यक रूप से अर्हता प्राप्त वास्तुविद/अभियन्ता के तकनीकी पर्यवेक्षण में भूकम्प रोधी मानक एवं अनुदेशों के अनुसार कराना होगा। निर्माण एवं विकास कार्य के दौरान कोई अप्रिय घटना घटित होने की स्थिति में, इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- 10:- प्रस्तावित उप विभाजन मानचित्र को आपके अनुबन्ध पत्र एवं बन्धकपत्र में उल्लिखित विवरण के आधार पर स्वीकृति प्रदान की जा रही है।
- 11:- प्रस्तावित उप विभाजन मानचित्र में प्रदर्शित सार्वजनिक उपयोग की व्यवस्था यथा-पार्क, सड़क, व नाली आदि के स्थल पर स्वामित्व सौंपने हेतु सक्षम अभिकरण को नियमानुसार हस्तान्तरण की कार्यवाही की जायेगी तथा विकास के लिये निर्धारित शुल्क भी अदा करना होगा। अनुबन्ध पत्र एवं बन्धक पत्र के विपरीत कृत्य की स्थिति में स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
- 12:- भूखण्डों का विक्रय स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुसार ही किया जायेगा। विक्रीत भूखण्डों पर भवन निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व पृथक-पृथक भवनों के मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा। विषयगत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी विषय का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। स्वामित्व सम्बन्धी विवाद होने की दशा में, स्वीकृत मानचित्र सक्षम न्यायालय के निर्णय के अधीन होगा।
- 13:- प्रस्तुत तलपट मानचित्र में प्राविधानित पहुँच मार्ग केवल मानचित्र में दर्शित भूखण्डों के लिये ही मान्य होगा एवं इस उप विभाजन मानचित्र का भाग रहेगा।
- 14:- प्रस्तावित कॉलोनी में रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
- 15:- आवेदकगण को बाह्य विकास कार्य यथा-सीवर लाइन/जल निकासी की व्यवस्था स्वयं अपने व्यय पर करानी होगी।

संलग्नक:-स्वीकृत मानचित्र।

दिनांक-



P-4 20/4/24
नगर मजिस्ट्रेट/
नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र
शाहजहाँपुर।